रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एम/13-14/96.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 3 मई, 1997/13 वैशाख, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
विधायी (अंग्रेजी) शाखा

अधिसूचना

शिमला-2, 3 मई, 1997

संख्या एल0 एल0 आर0-डी (6) 2/97.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 2-5-1997 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश

पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1997 (1997 का विधेयक संख्यांक 3) को 1997 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 10 के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द सिंह ठाकुर,
सचिव।

1997 का अधिनियम संख्यांक 10.

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1997

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 2 मई, 1997 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1997 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह 16 जनवरी, 1997 से प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1994 का 4 2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में,— धारा 3 का संशोधन।

(क) उप-धारा (2) में विद्यमान परन्तुक का लोप किया जाएगा ; और

(ख) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा (2-क) जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"(2-क) ग्राम पंचायत की अवधि के दौरान, जब इस कारण से कि उप-धारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन सभा क्षेत्र की बढ़ौतरी या कमी की जाती है, तो सभा क्षेत्र में बढ़ौतरी या कमी, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम की धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत की कालावधि के अवसान या इस अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु जहां सम्पूर्ण सभा क्षेत्र ऐसा सभा क्षेत्र नहीं रहता है, वहां सभी सदस्य (जिन के अन्तर्गत प्रधान और उप-प्रधान भी हैं), सदस्य नहीं रहेंगे और वे इस धारा की उप-धारा (2) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से अपना पद रिक्त कर देंगे।"

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 3-क जोड़ी जाएगी, अर्थात् :— धारा 3-क का जोड़ना।

"3-क. **कतिपय पदाधिकारियों की अवधि का सभा क्षेत्र में कमी के कारण प्रभावित न होना.**—इस अधिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी किन्तु धारा 3 की उप-धारा (2-क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी पंचायत समिति या जिला परिषद् के पदाधिकारी की पदावधि के दौरान, जब इस कारण से कि सभा क्षेत्र या उसका भाग किसी नगरपालिका में सम्मिलित किया जाता है या नगरपालिका का भाग उससे अपवर्जित करके किसी सभा क्षेत्र में सम्मिलित

किया जाता है, तो सभा क्षेत्र में ऐसी बढ़ोतरी या कमी, पंचायत समिति या जिला परिषद् के पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम की धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान या इस अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नहीं करेगी।"

धारा 77 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 77 में, उप-धारा (2) का लोप किया जाएगा।

धारा 88 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 88 में, उप-धारा (2) का लोप किया जाएगा।

धारा 124 का प्रति-स्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 124 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"124. **प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र**.—निर्वाचन की सुविधा के लिए और पंचायत क्षेत्र में प्रत्येक वृद्धि या कमी के पश्चात् भी, उपायुक्त, ऐसे नियमों के अनुसार जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किए जाएं—

(क) पंचायत क्षेत्र को उतने एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करेगा जितनी संख्या में सदस्य निर्वाचित किए जाने अपेक्षित हैं;

(ख) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की सीमा अवधारित करेगा; और

(ग) उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों या निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण करेगा जिनमें इस अधिनियम के अधीन स्थान आरक्षित किए गए हैं।"

धारा 167 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 167 की उप-धारा (1) में, "प्राधिकृत अधिकारी" शब्दों के पश्चात् और शब्द "प्रत्येक" से पूर्व "यथाशक्य शीघ्र और साधारणतया" शब्द अन्तःस्थापित किए जायेंगे।

1997 के अध्यादेश संख्यांक-3 का निरसन और व्यावृत्तियां।

8. (1) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध उस समय प्रवृत्त थे जब ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 10 of 1997.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ACT, 1997

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 2ND MAY, 1997)

AN

ACT

to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 *of* 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the forty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 1997.

(2) It shall and shall be deemed to have come into force on the 16th day of January, 1997.

Amendment of section 3.

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter called the principal Act),—

(*a*) in sub-section (2), existing proviso shall be omitted; and

(*b*) after sub-section (2), so amended, the following sub-section (2-A) shall be added, namely:—

"(2-A) When on account of the reason that the Sabha area is, during the term of the Gram Panchayat, increased or diminished under clause (*a*) or (*b*) of sub-section, (2), the increase or diminution of the Sabha area shall not affect the term of the office bearers of the Gram Panchayat, till the expiration of the duration of the Gram Panchayat specified in sub-section (1) of section 120 of this Act or its dissolution under section 140 of this Act :—

Provided that where the whole of the Sabha area ceases to be a Sabha area, all the members (including Pradhan and Up-pradhan) shall cease to be the members and they shall vacate their offices from the date of the order made under sub-section (2) of this section."

Addition of section 3-A.

3. After section 3 of the principal Act, the following section 3-A shall be added, namely:—

"3-*A*. *Diminution of the Sabha area not to affect the term of certain office bearers.*— Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, but subject to the provision of sub-section (2-A) of section 3, when on account of reason that the Sabha Area or the portion thereof is

included in a municipality or a portion of municipality excluded therefrom is included in a Sabha area, during the term of office of the office bearers of a Panchayat Samiti or Zila Parishad, such increase or diminution of the Sabha area, shall not affect the term of the office bearers of the Panchayat Samiti or Zila Parishad, till the expiration of its duration specified in sub-section (1) of section 120 of this Act or its dissolution under section 140 of this Act."

Amendment of section 77.

4. In section 77 of the principal Act, sub-section (2) shall be omitted.

Amendment of section 88.

5. In section 88 of the principal Act, sub-section (2) shall be omitted.

Substitution of section 124.

6. For section 124 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"124. *Territorial Constituencies.*—For the convenience of the election and also after every increase or decrease of the Panchayat area, the Deputy Commissioner shall, in accordance with such rules as may be prescribed in this behalf by the State Government—

(*a*) divide the Panchayat area into as many single member territorial constituencies as the number of members are required to be elected ;

(*b*) determine the extent of each territorial constituency ; and

(*c*) determine the territorial constituency or constituencies in which seats are reserved under this Act."

Amendment of section 167.

7. In sub-section (1) of section 167 of the principal Act, after the words "by the authorised officer", the words "as expeditiously as possible and ordinarily", shall be added.

Repeal of Ordinance No. 3 of 1997 and savings.

8. (1) The Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 1997 (3 of 1997) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the repealed Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, as if the provisions of this Act were in force at the time when such thing was done or such action was taken.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।